दिनांक 03.03. 2025 को सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवाही:–

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिया गया है:–

1. सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सभी उच्चवर्गीय लिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का लॉगबुक में प्राप्त पत्रों, उपस्थापित एंव लंबित संचिकाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी कर्मियों का लॉगबुक में प्राप्त पत्र पूर्ण रूप अद्यतन नहीं था। इस संबंध में निदेश दिया गया कि सभी संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी /कर्मचारी लॉगबुक में पूर्ण रूप से भरे और संचिका गाते पंजी संधारित कर संचिका ससमय उपस्थापित करेगें। यह भी निर्देश दिया गया कि सभी कर्मी ई–ऑफिस के माध्यम से प्राप्त पत्रों का निष्पादन ई–ऑफिस के माध्यम से ससमय सुनिश्चित करेगें।

अनुपालनः– उप सचिव/अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/सभी उच्चवर्गीय लिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक।

2. कृषि विभाग द्वारा शुरू "बिहार कृषि रेडियो" के लिए गन्ना उद्योग विभाग के स्तर से भी विषय वस्तु/सामग्री उपलब्ध कराया जाने का निर्देश दिया गया है। इस क्रम में निदेश दिया गया कि इस हेतु वेदव्रत कुमार, सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय नोडल पदाधिकारी होंगे एवं श्रीमती पूजा कुमारी, सहायक निदेशक उप नोडल पदाधिकारी होंगी। नोडल पदाधिकारी द्वारा " बिहार कृषि रेडियों" के लिए ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा (समस्तीपुर), सभी कृषि विज्ञान केन्द्र, चीनी मिल के पदाधिकारियों का रोस्टर के अनुसार कार्यक्रम किया जाएगा।

अनुपालनः– वेदव्रत कुमार, सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय/ श्रीमती पूजा कुमारी, सहायक निदेशक ।

3. विभाग में लंबित एसी/डीसी बिल एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की भी समीक्षा की गई।

लंबित एसी/डीसी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विवरणी में अंकित प्रतिवेदन के अनुसार विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग का 4,08,967/–, उप निदेशक, ईख विकास, पटना का 58,82,200/–, उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, समस्तीपुर का 1,10,52,398/–, सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान का 2,50,000/–, सहायक निदेशक ईख विकास, सहरसा का 12,31,390/–, ईख पदाधिकारी, गोपालगंज का 10,42,14,000/–, सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया का 16,40,000/–,सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा का 71,46,478/–तथा सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी का 5,81,194/– है। बैठक में निर्देश दिया गया कि लंबित राशि के डाटा जाँच कर आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाय। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पृच्छा की गई की मुख्यालय स्तर पर भी इतना एसी/डीसी बिल क्यों लंबित है? इस पर ईखायुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस विषय पर रेगुलेटरी शाखा और विकास शाखा से अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध करा दी जायेगी।

अनुपालनः– ईखायुक्त/संयुक्त ईखायुक्त/संबंधित उप निदेशक/सहायक निदेशक संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी/लिपिक/रोकड़पाल एवं उच्चवर्गीय लिपिक /लेखाशाखा।

4. विभाग के अन्तर्गत चल रहे न्यायिक मामलों को भी समीक्षा की गई।

न्यायिक मामलों की समीक्षा के क्रम में लंबित न्यायिक वादों की दिनांक–03.03.2025 तक की स्थिति निम्नवत् है:–

Sl. No.	Case Name & No.	Subject	Advocate Name	Relation	Remarks
1	CWJC No.-9604/2024 Shamsuddin Ansari Vs The State of Bihar & ors.	याचिकाकर्ता बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड इकाई न्यू सावन के सहायक अभियंता के पद से सेवानिवृत हुए थे। बकाया वेतनादि भुगतान हेतु वाद दायर किया गया है।	Jitendra Kr Raj SC-13 Patna High Court	निगम स्तर से कार्रवाई की जा रही है।	विभागीय पत्रांक–1059/ई०का० दिनांक–15.10.2024 के द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम को संबंधित वाद में प्रतिशपथ पत्र दायर करने का अनुरोध किया गया है।

2	5 Shambhu Sharan Singh Vs The State of Bihar & ors.	याचिकाकर्ता द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड इकाई बिहटा के कर्मी थे। इनके द्वारा बकाया वेतनादि भुगतान हेतु वाद दायर किया गया है।	Anuradha Singh SC-21 Patna High Court	निगम स्तर से कार्रवाई की जा रही है।	बिहार राज्य चीनी निगम को संबंधित वाद में प्रतिशपथ पत्र दायर करने का अनुरोध किया गया है।
3	MJC No-411/2025 Awadhesh Rai. Vs The State of Bihar & ors.	याचिकाकर्ता के द्वारा सासामूसा चीनी मिल का बकाया ईख मूल्य भुगतान हेतु वाद दायर किया गया है।	Kinkar Kumar SC-9 Patna High Court	रेगुलेटरी शाखा स्तर से कार्रवाई की जा रही है।	सरकारी अधिवक्ता को कारण पृच्छा दायर करने हेतु दिनांक–28.02.2025 को तथ्य विवरणी उपलब्ध करा दी गई।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि CWJC का 02 मामला लम्बित हैं और MJC का 01 मामला लम्बित है। निर्देश दिया गया कि कोर्ट केस से संबंधित जिन मामलें में कारण पृच्छा/प्रतिशपथ–पत्र दायर किया गया है, वैसे मामलों में संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन मॉनेटरिंग कर सरकारी अधिवक्ता से सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेंगे और संबंधित वाद में अनुपूरक प्रतिशपथ पत्र/ कारणपृच्छा दायर कराने की कार्रवाई करेंगे।

अनुपालन :–ईखायुक्त/प्रबंध निदेशक/संयुक्त ईखायुक्त/उप सचिव (विधि)/ विशेष ईख पदाधिकारी/आई0टी0 प्रबंधक/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक/ उच्च वर्गीय लिपिक/श्री अजीत कुमार।

5. महालेखाकार के द्वारा विभाग में पूर्व के बर्षों में किये गये ऑडिट के दौरान जो आपत्ति प्रतिवेदन लंबित है के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों/लेखा शाखा के कर्मियों को निर्देश दिया गया कि जो भी ऑडिट/निरीक्षण प्रतिवेदन में पूर्व में किये गये है और जो आपत्ति अब तक लंबित है उसका निराकरण अविलंब कर प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः– संबंधित पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सह विशेष कार्य पदाधिकारी/ संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/लेखाशाखा/ श्री बाबुल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी।

04/03/25

सचिव

गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञापांक 208 पटना/दिनांक– 04 मार्च, 2025

प्रतिलिपिः–सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आशुलिपिक/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त मुख्यालय/उप सचिव/विशेष ईख पदाधिकारी, पटना/गन्ना उद्योग विभाग के सभी ईख पदाधिकारी एवं अन्य सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी /अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/सभी उच्चवर्गीय/सभी निम्नवर्गीय लिपिक, गन्ना उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2025

अवर सचिव

गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञापांक 208 पटना/दिनांक 04 मार्च, 2025

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

04/03/2025

अवर सचिव

गन्ना उद्योग विभाग